न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

निर्णय दिनांक 28.12.17

रिपोर्ट पटवारी हल्का सहैंगाला द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 1.11.17 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित /अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का [illegible] द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल राकेश पुत्र सियाराम कौम ब्रा0 निवासी [illegible] तहसील राजाखेडा ने आराजी ख0न0 5976 किस्म [illegible] रकबा 0.01 बांके ग्राम [illegible] पर कब्जा की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस **से तलब किया गया** । गैर सायल उपस्थित/ अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नही **किया गया** । **ततपश्चात** रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का **अतिचार सिद्व होता है।**

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम **1956** की धारा **91** के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 2.0 की **50 गुनी से** शास्ति राशि 101/- रूपये आरोपित की जाती है। भू0अभिलेख निरीक्षक/ पटवारी हल्का को **लिखा** जावे। टी0आर0ए0 का माग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

तहसीलदार
राजाखेडा

[illegible] 10 [illegible]
पृष्ठ सं0 42 क्रम सं0 01
पर दर्ज की गई [signature] 6/2/18.
TRA
राजाखेडा